166/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3/1

अपील सूचना का अधिकार संख्या 166/2015 श्री मनदीप सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह निवासी वार्ड न0 12, टीचर कोलोनी, तहसील सादुलशहर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.02.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मनदीप सिंह को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मनदीप सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0 पत्र दिनांक 09.09.2015 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

(1) जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 09.09.2015 तक कितने शस्त्र लाईसेन्स जारी किये गये है? सभी के रजिस्टर रिकार्ड की प्रमाणित प्रति दी जावे।
(2) जिला प्रशासन को दिनांक 01.01.2013 से 09.09.2015 तक सामान्य प्रकरण में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए है? आवेदको को सामान्य प्रकरण में शस्त्र लाईसेन्स जारी कियें गये है? सभी के रजिस्टर रिकार्ड की प्रमाणित प्रति दी जावे।
(3) जिला प्रशासन द्वारा ऐसे कितने प्रकरण है? जिनमें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंषा की गयी है, परन्तु जिला कलक्टर द्वारा कितने प्रार्थना पत्र निरस्त किये गये है? सभी के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति दी जावे।

अपीलार्थी श्री मनदीप सिंह द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 9614 दिनांक 01.10.2015 के द्वारा दिया गया उत्तर गलत है जिससे वह असन्तुष्ट है। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को उक्त सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 11351 दिनांक 24.11.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र सं0 9614 दिनांक 01.10.2015 के द्वारा निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है।

(जि)ला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

166/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3/2

क.सं.	बिन्दु	जबाब
1	जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 09.09.2015 तक कितने शस्त्र लाईसेन्स जारी किये गये है? सभी के रजिस्टर रिकार्ड की प्रमाणित प्रति दी जावे।	बिन्दु संख्या 01 से 03 में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण देय नही है। किसी निश्चित अनुज्ञापत्र की प्रविष्टि के संबंध में कोई प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो उसके लिए पूर्ण विवरण देकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विधिवत होने पर विचार किया जा सकेगा।
2	जिला प्रशासन को दिनांक 01.01.2013 से 09.09.2015 तक सामान्य प्रकरण में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए है? आवेदको को सामान्य प्रकरण में शस्त्र लाईसेन्स जारी कियें गये है? सभी के रजिस्टर रिकार्ड की प्रमाणित प्रति दी जावे।	
3	जिला प्रशासन द्वारा ऐसे कितने प्रकरण है? जिनमें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंषा की गयी है, परन्तु जिला कलक्टर द्वारा कितने प्रार्थना पत्र निरस्त किये गये है? सभी के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति दी जावे।	

इस संबंध में अपीलोतर प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अत्यन्त विस्तृत है व प्रश्नात्मक है। धारा 7(9) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण के संसाधनो का अनुपातिक रूप से विचलन होता है। आवेदके को किसी विशिष्ट दस्तावेज की आवश्यकता है तो वह किसी भी कार्यालय दिवस व समय में उपस्थित होकर चाही गई सूचना की विशिष्टियां प्रस्तुत कर अवलोकन कर प्राप्त कर सकता है। अपीलांट द्वारा बिन्दु संख्या 6 पर वर्णित मामला भ्रष्टाचार से संबंधित बताया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए और तृतीय पक्ष से संबंधित भी नही होनी चाहिए तथा विस्तृत एवं कार्यालय संसाधनो को प्रभावित करने वाली भी नही होनी चाहिए तथा चाही गई सूचना से किसी व्यक्ति विशेष की जान माल की सुरक्षा प्रभावित नही होनी चाहिए।

चूंकि चाही गई सूचनांओ का संबंध तृतीय पक्षो से संबंधित है और प्रश्नात्मक रूप में भी है तथा संबंधित अनुज्ञापत्रधारीयों के अनुज्ञापत्रो की जानकारी देने से उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। ऐसी अवस्था में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाने के संबंध में दिया गया आदेश उचित है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

ला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

166/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3/3

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी किसी निश्चित अनुज्ञापत्रधारक के संबंध में पूर्ण विवरण देकर कोई सूचना लेना चाहे तो उस पर नियमानुसार विचार करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर